न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21/2022 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री घनश्याम रावत पुत्र श्री सीताराम रावत
   एफबीओ मैसर्सः— रावत मसाला स्टोर, हाई स्कूल रोड, बांदीकुई जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 06.07.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 3.1.2022 को दोपहर बाद 01:30 बजे मैसर्सः— रावत मसाला स्टोर, हाई स्कूल रोड, बांदीकुई जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री घनश्याम रावत पुत्र श्री सीताराम रावत उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता के मसाला पिसाई केन्द्र पर एक प्लास्टिक के लूज कट्टे में करीबन 35 किग्रा हल्दी पाउडर(लूज) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जॉच हेतु 2 किग्रा हल्दी पाउडर(लूज) खरीदा। जिसे विक्रेता ने एक साफ, सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तोलकर दिया। जिनकी कीमत 280 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 13:20.29 IST
Reason: Self Attested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने [illegible] खरीदशुदा 2 किग्रा हल्दी पाउडर(लूज) को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर-बराबर डालकर डिब्बों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—2777 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर **प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद** डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री **महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 4.1.2022 को खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर** के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 4.1.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 4.1.2022 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./14/एक्ट/2022/14 दिनांक 12.1.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(लूज) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./14/एक्ट/2022/14 दिनांक 12.1.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का जो नमूना लिया गया था। उक्त नमूने की जॉच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर में नमी**(Moisture)** की मात्रा 11.77 प्रतिशत पाई गई है। जो कि 10.00 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये थी। इस वजह से खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(लूज) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:29 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी एक खुदरा व्यापारी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्रतिष्ठान पर हल्दी मसाला का नमूना लिया गया था। इसमें जांच में मसाले में नमी पाई गई है। श्रीमान जी उस दिन बरसात हो रही थी और मौसम बरसात का होने के कारण हल्दी मसाला में नमी आई होगी। प्रार्थी शुद्ध मसालों का ही विक्रय करता है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध नरम रूख अपनाया जाकर नोटिस दिनांक 15.6.2022 की कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./14/एक्ट/2022/14 दिनांक 12.1.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने उक्त सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का आमजन को विक्रय कर आमजन के जीवन के साथ खिलवाड किया है। खाद्य **सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय किये जाने पर** जुर्माना निर्धारित किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री घनश्याम रावत पुत्र श्री सीताराम रावत एफबीओ मैसर्सः–रावत मसाला स्टोर, हाई स्कूल रोड, बांदीकुई जिला दौसा पर 8000/–(अक्षरे आठ हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 06.07.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ दिनांकः– .07.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री घनश्याम रावत पुत्र श्री सीताराम रावत
   एफबीओ मैसर्सः– रावत मसाला स्टोर, हाई स्कूल रोड, बांदीकुई जिला दौसा।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 13:20:29 IST
Reason: SelfAttested